

न्यायालय:- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छत्तीसगढ़)

क्रमांक 93/व्य.न्या./2017

पण्डरिया, दिनांक 05.10.2017

प्रति,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
कबीरधाम (कवर्धा) छत्तीसगढ़

विषय :- प्रकरणों की विशेष सूची तैयार किये जाने बाबत।

संदर्भ :- माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पत्र क्रमांक 7317/A.R(J)2017
बिलासपुर, दिनांक 28.08.2017

माननीय महोदय,

निवेदन है, विषयान्तर्गत सन्दर्भित आदेश के पालन में इस न्यायालय के समक्ष पाँच एवं दस वर्षों से अधिक समय से लम्बित व्यवहार वाद प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु विशेष सूची (अस्थायी) निम्नानुसार तैयार की गई है, जिन्हें दिन-प्रतिदिन साक्ष्य हेतु नियत किया जावेगा, जब तक उभयपक्ष का साक्ष्य ना हो जावे। इस विशेष सूची में उल्लेखित प्रकरणों में बाध्यकारी कारणों के अलावा स्थगन दिये बिना विचारण पूर्ण किया जाकर प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जावेगा।

- विशेष सूची -

क्र.	व्य.वा.क्र.	नाम पक्षकार	अधिवक्तागण	संस्थित तिथि	आगामी तिथि	रिमार्क
01.	15अ/09	श्रवण - चैतराम वर्गै.	श्री एन.आर. गुप्ता श्री जे.पी. तिवारी	16.06.2009	10.10.2017	प्रतिवादी साक्ष्य
02.	05अ/11	रामदास - कुंजन वर्गै.	श्री अरुण दीवान श्री कोंति शर्मा श्री दीपक सोनी	08.03.2011 (प्रकरण माननीय अपीलीय न्यायालय से पुनः वापसी दिनांक - 29.11.2016)	24.10.2017	वादी साक्ष्य
03.	13अ/11	परदेशी - छबिल वर्गै.	श्री अरुण दीवान श्री घनश्याम चंद्रवंशी श्री एन.आर. गुप्ता	30.07.2011	13.10.2017	प्रतिवादी साक्ष्य

(समीर कुजूर)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
पण्डरिया, जिला कबीरधाम
पण्डरिया, दिनांक 05.10.2017

पृष्ठा.क्र. /व्य.न्या./2017

- प्रतिलिपि /- 1. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, पण्डरिया, सम्बन्धित अधिवक्तागण को सूचित करने एवं आवश्यकता होने पर अभ्यावेदन दिनांक 10.10.2017 तक प्रस्तुत करने हेतु।
2. न्यायालय नोटिस बोर्ड में चस्पा किये जाने हेतु।
3. प्रस्तुतकार, काजलिस्ट बोर्ड में चस्पा किये जाने हेतु।
4. कम्प्युटर शाखा, कबीरधाम, जिला न्यायालय के वेबसाईट में प्रसारित करवाये जाने हेतु।

टीप /-

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में इस न्यायालय के समक्ष पाँच एवं दस वर्षों से अधिक समय से लम्बित व्यवहार वाद प्रकरणों की विशेष सूची तैयार की गई है, उक्त प्रकरणों में अंतिम निराकरण तक कोई स्थगन प्रदाय नहीं किया जावेगा और इस सूची के प्रकरणों को दिन-प्रतिदिन उभयपक्ष के साक्ष्य हेतु निरन्तर तब तक नियत किया जावेगा, जब तक उभयपक्ष का साक्ष्य पूर्ण हो जावे व प्रकरण के अंतिम रूप से सुना जाकर निराकृत किया जावे। सूची में दर्शाये प्रकरणों से सम्बन्धित पक्षकार के अधिवक्तागण यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हों तो दिनांक 10.10.2017 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

(समीर कुजूर)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
पण्डरिया, जिला कबीरधाम